समाहरणालय, मधुबनी

(जिला आपूर्ति शाखा)

सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु

–: आम सूचना :–

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1222/खाद्य, दिनांक 08–03–2017 एवं बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 जो विभागीय अधिसूचना संख्या–1750/खाद्य, दिनांक 10–03–2016 द्वारा संसूचित/निदेशित है, में निहित प्रावधानों तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–963, दिनांक 20–01–2016, परिपत्र संख्या–2342, दिनांक 15–02–2016 के प्रावधानो के तहत वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियॉ का रोस्टर के आधार पर मधुबनी जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल यथा सदर, मधुबनी/बेनीपट्टी/जयनगर/झंझारपुर एवं फुलपरास के जन वितरण प्रणाली के दुकानों की कुल रिक्तियॉ निम्न प्रकार है :–

क्र0	अनुमंडल का नाम	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग की महिला	अनारक्षित		कुल योग
		अनु0 जाति अन्य	अनु0 जाति महिला	अनु0 जन जाति अन्य	अनु0जन जाति महिला	अ0पि0व0 अन्य	अ0पि0 व0 महिला	पि0व0 अन्य	पि0व0 महिला		अना0 अन्य	अना0 महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सदर, मधुबनी	27	16	6	1	42	18	22	11	10	71	46	270
2	जयनगर	9	6	2	1	17	5	7	4	8	16	16	91
3	बेनीपट्टी	30	11	5	0	49	13	15	7	12	9	30	181
4	झंझारपुर	21	12	5	0	26	14	16	8	6	60	35	203
5	फुलपरास	13	8	3	0	15	10	11	7	4	43	22	136
		100	**53**	**21**	**2**	**149**	**60**	**71**	**37**	**40**	**199**	**149**	**881**

इस प्रकार कुल–881 जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्ति हेतु संबंधित पंचायत/वार्ड/नगर परिषद/नगर पंचायत के स्थायी निवासियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1– व्यक्ति **अनुसूची–1** में तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिक की सहयोग समितियाँ **अनुसूची–2** में अपना आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी (अनुज्ञापन पदाधिकारी) के कार्यालय में **दिनांक 15–03–2018 से दिनांक 27.03.2018 तक** कार्यालय अवधि में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वंय उपस्थित होकर चिन्हित काउन्टर पर प्राप्त किये जायेगें। निर्धारित तिथि के संध्या 5:00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

2– **उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा,** परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य एवं मेधा को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।

3– **अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकताएँ प्रदान की जायेगी–**

(i) स्वयं सहायता समूह (ii) महिलाओं की सहयोग समितियाँ (iii) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ (iv) शिक्षित बेरोजगार (v) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

4– महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियाँ एवं स्वंय सहायता समूहों के नाम से उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी तथा इनका संचाल इनकी प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा।

5– अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे, एवं चयन पूर्णरूपेण मेधा के आधार पर होगा, और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।

6– नियुक्ति में आरक्षण देने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधान के अनुसार विकलांगों को आरक्षण दिया जायेगा।

7– पिछड़े वर्ग की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिलायें शामिल मानी जायेगी।

8– उचित मूल्य के दुकान के स्वामी को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषण क्षेत्र में रखना होगा।

9– **निम्नलिखित व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी : –**

(i) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्यों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सैतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेगें **(ii)** मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेगें **(iii)** आटा–चक्की के मालिक एवं उनके निकट सम्बंधियों।

(iv) अवयस्क, पागल, दिवालिया व्यक्ति (v) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम–10) के अधीन अथवा किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध व्यक्ति। (vi) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी।

10– विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व एवं आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

11– जन वितरण विक्रेता से संबंधित माननीय न्यायालय में लंबित मामलों में पारित अंतिम आदेश तथा अनुकम्पा मामले के आलोक में रिक्ति एवं कोटि में परिवर्तन हो सकता है। जिसके आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति को आवेदन अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12– अनुमंडलवार/प्रखंडवार/पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियाँ सभी अनुमंडल/प्रखंड/जिला कार्यालय के सूचनापट्ट पर एवं मधुबनी जिले के बेवसाईट **Madhubani.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

13– बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में निहित सभी प्रावधान लागू होगा।

नोट :–

(i) आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ii) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में एवं पूर्ण भरा होना चाहिए। अपूर्ण अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेगें।

(iii) आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खिचा हुआ) पॉच प्रति संलग्न करना होगा, तथा एक फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दॉये कोने में (स्वअभिप्रमाणित) चिपकाना होगा।

(iv) आवेदक को अपना मोबाईल नं0 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा।

(vi) आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे उपर उस पंचायत/वार्ड नं0 का नाम एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत/वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं।

(vi) शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रो की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(vii) आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(viii) संबंधित पंचायत/वार्ड का निवासी होने का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(ix) आचरण प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(x) एक से अधिक पंचायत/वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदक के सभी अवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

(xi) यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नही हो, तो अनुसूचित जाति के आवेदकों से भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का सुयोग्य आवेदक नही हो, तो इसे पिछड़ा वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार इसके विपरित क्रम (vice versa) द्वारा भरा जायेगा।

(xii) आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते हैं, उसका खाता नं0, खेसरा नं0 एवं रकवा से संबंधित खतियान/केवाला एवं अद्यतन लगान रसीद की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(xiii) आवेदक इस आशय का स्वघोषण देगें कि उनके द्वारा आवेदन में प्रविष्टि की गई सभी सूचना एवं संलग्न प्रमाण पत्र/कागजात सही है तथा गलत पाये जाने पर विधिसम्मत् कार्रवाई की जाय।

(xiv) जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्ति बढ़ एवं घट सकती है।

(xv) अधोहस्ताक्षरी को आवेदन/विज्ञापन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(xvi) किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का आदेश/अनुदेश मान्य होगा।

ह0/– 9/8/17

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी